



## भारत में भ्रष्टाचार

### प्रलिस के लयः

[भ्रष्टाचार बोध सूचकांक](#), [ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल](#), लोकतंत्र, भ्रष्टाचार

### मेन्स के लयः

शासन में पारदर्शता और जवाबदेही, भारत में भ्रष्टाचार के सामान्य कारण और इसकी रोकथाम

### प्रसंगः

भारत के प्रधानमंत्री ने [76वें स्वतंत्रता दिवस](#) पर अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और [भाई-भतीजावाद की दोहरी चुनौतियों के खिलाफ तीखा हमला](#) किया और कहा कि यद्यपि समय पर इसका समाधान नहीं किया गया तो यह बड़ी चुनौती बन सकती है। साथ ही 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा [भ्रष्टाचार बोध सूचकांक](#) 2023 (CPI) जारी किया गया।

- समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफी हद तक स्थिर या खराब रही है। भारत ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में 40 अंक प्राप्त किए।

### भ्रष्टाचारः

भ्रष्टाचार सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा किया गया असन्निहित व्यवहार है। इसकी शुरुआत किसी नज्जी लाभ के लिये सार्वजनिक पद का उपयोग करने की प्रवृत्ति से होती है।

- इसके अलावा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार कई लोगों के लिये आदत का बंधन बन गया है। यह इतनी गहराई तक व्याप्त है कि भ्रष्टाचार को अब एक सामाजिक मानदंड माना जाता है। इसलिये भ्रष्टाचार का तात्पर्य नैतिकता की वफ़लता से है।

### भारत में भ्रष्टाचार के पीछे के कारणः

- पारदर्शता की कमी:** सरकारी प्रक्रियाओं, नरिणय लेने और सार्वजनिक प्रशासन में [पारदर्शता](#) की कमी भ्रष्ट आचरण के लिये अधिक अवसर प्रदान करती है। जब कार्यों तथा नरिणयों को सार्वजनिक जाँच से बचाया जाता है, तो अधिकारी जोखिम के कम डर के साथ भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।
- कमजोर संस्थाएँ और अपरभावी कानूनी ढाँचे:** कानूनों और वनियमों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार भारत की कई संस्थाएँ या तो कमजोर हैं या समझौतावादी हैं। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, न्यायपालिका और नरिक्षण निकाय शामिल हैं। कमजोर संस्थाएँ भ्रष्ट व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने में वफ़ल हो सकती हैं तथा यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे सकती हैं।
  - भ्रष्ट व्यक्तियों को अपर्याप्त सज़ा के कारण दंड से मुक्तकी धारणा भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दे सकती है। भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों को जब यह वशिवास हो जाता है कि वे दंड से बच सकते हैं, तो उनके इसमें शामिल होने की संभावना अधिक हो जाती है।
- कम वेतन और प्रोत्साहन:** सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों, वशिषकर नचिले स्तर के पदों पर बैठे लोगों का कम वेतन उन्हें रशिवतखोरी और भ्रष्ट आचरण के प्रता अधिक संवेदनशील बना सकता है, क्योंकि वे भ्रष्टाचार को अपनी आय के पूरक के साधन के रूप में देखते हैं।
- नौकरशाही/लालफीताशाही:** लंबी और जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ तथा अत्यधिक नयिम व्यक्तियों एवं व्यवसायों को प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने या बाधाओं को दूर करने के लिये भ्रष्ट आचरण में शामिल होने हेतु प्रेरति कर सकते हैं।
  - भारत का जटिल आर्थिक वातावरण, जिसमें वभिन्न लाइसेंस, परमिट और अनुमोदन शामिल हैं, भ्रष्टाचार के अवसर पैदा कर सकते हैं। व्यवसाय इस माहौल से नपिटने के लिये रशिवतखोरी का सहारा ले सकते हैं।
- राजनीतिक हस्तक्षेप:** प्रशासनिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते सरकारी संस्थानों को अपनी स्वायत्तता से समझौता करने को मजबूर होना पड़ सकता है। राजनेता व्यक्तगित या पार्टी लाभ के लिये अधिकारियों पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाल सकते हैं।
- सांस्कृतिक कारण:** कुछ संदर्भों में भ्रष्ट आचरण की सांस्कृतिक स्वीकृति हो सकती है, जो भ्रष्टाचार को कायम रखती है। यह धारणा कि "हर

कोई ऐसा करता है" व्यक्तियों को नैतिक रूप से समझौता किये बिना भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिये प्रेरित कर सकता है।

- **वहसिलब्लोअर की सुरक्षा का अभाव:** वहसिलब्लोअर की अपर्याप्त सुरक्षा व्यक्तियों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने से रोक सकती है। संभावित प्रतिशोध का डर मुखबरी को चुप रहने को मजबूर करने के साथ ही भ्रष्टाचार को पनपने में सहायक हो सकता है।
- **सामाजिक असमानता:** सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि धन और शक्ति वाले व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग अधिमान्य उपचार प्राप्त करने तथा बिना किसी परणाम (Without Repercussions) के भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने के लिये कर सकते हैं।

## सविलि सेवाओं में भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण:


- **सविलि सेवा का राजनीतिकरण:** जब सविलि सेवा के पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन के लिये पुरस्कार के रूप में किया जाता है या रशिवत हेतु स्थानांतरण किया जाता है, तो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।
- **नजी क्षेत्र की तुलना में कम वेतन:** नजी क्षेत्र की तुलना में सविलि सेवकों का वेतन कम हो सकता है, वेतन में अंतर की भरपाई के लिये कुछ कर्मचारी रशिवत का सहारा लेते हैं।
- **प्रशासनिक देरी:** फाइलों की मंजूरी में देरी भ्रष्टाचार का मूल कारण है क्योंकि आम नागरिकों को फाइलों की शीघ्र मंजूरी के लिये दोषी अधिकारियों और प्राधिकारियों को रशिवत देने को मजबूर होना पड़ता है।
- **चुनौती रहित सत्ता की औपनिवेशिक वरिष्ठता:** सत्ता के उपासक वाले समाज में सरकारी अधिकारियों के लिये नैतिक आचरण से वचलित होना आसान होता है।
- **कानून का कमज़ोर प्रवर्तन:** भ्रष्टाचार की बुराई को रोकने के लिये कई कानून बनाए गए हैं लेकिन उनके कमज़ोर प्रवर्तन ने भ्रष्टाचार को रोकने में बाधा के रूप में काम किया है।

## भ्रष्टाचार का प्रभाव:

- **लोगों और सार्वजनिक जीवन पर:**
  - **सेवाओं में गुणवत्ता की कमी:** भ्रष्टाचार वाली प्रणाली में सेवा की कोई गुणवत्ता नहीं होती है।
    - गुणवत्ता की मांग करने हेतु किसी को इसके लिये भुगतान करना पड़ सकता है। यह कई क्षेत्रों जैसे- नगर पालिका, बजिली, राहत कोष के वितरण आदि में देखा जा सकता है।
  - **उचित न्याय का अभाव:** न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार अनुचित न्याय की ओर ले जाता है जिसका खामियाजा पीड़ित लोगों को भुगताना पड़ सकता है।
    - सबूतों की कमी या यहाँ तक कि भिटाए गए सबूतों के कारण किसी अपराध में संदेह का लाभ उठाया जा सकता है।
  - **खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति:** भ्रष्टाचार वाले देशों में लोगों के बीच अधिक स्वास्थ्य समस्याएँ देखी जा सकती हैं। इन देशों में स्वच्छ पेयजल, उचित सड़कें, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न आपूर्ति, दूध में मलिनता आदि जैसी कमियाँ पाई जाती हैं।
    - इन नमिन-गुणवत्ता वाली सेवाओं का कारण इसमें शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीके से धन अर्जित करना है।
  - **वास्तविक अनुसंधान की वफिलता:** परियोजना में अनुसंधान हेतु सरकारी धन की आवश्यकता होती है और कुछ एजेंसियों में भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वित्तपोषण में समस्या आती है।
    - ये लोग अनुसंधान के लिये उन जाँचकर्ताओं को धनराशि स्वीकृत करते हैं जो उन्हें रशिवत देने लिये तैयार हैं।
- **समाज पर प्रभाव:**
  - **अधिकारियों की अवहेलना:** भ्रष्टाचार में लपित अधिकारी के बारे में नकारात्मक बातें कर लोग उसकी अवहेलना करने लगते हैं। अवहेलना के कारण अधिकारी के प्रति अविश्वास पैदा होता है और परिणामस्वरूप नमिन श्रेणी के अधिकारी भी उच्च श्रेणी के अधिकारियों का अनादर करेगा, इसी क्रम में वह भी उसके आदेशों का पालन नहीं करता है।
  - **प्रशासकों के प्रति सम्मान की कमी:** राष्ट्र के प्रशासक जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति जनता के सम्मान में कमी आती है। सामाजिक जीवन में सम्मान मुख्य मानदंड है।
  - **सरकारों के प्रति विश्वास की कमी:** जनता अपने जीवन स्तर में सुधार और नेता के सम्मान की इच्छा के साथ चुनाव के दौरान मतदान के लिये जाते हैं। यदि राजनेता भ्रष्टाचार में लपित है, तो वह लोगों का विश्वास खो देगा और वे ऐसे नेताओं का नरिवाचति नहीं करेंगे।
  - **भ्रष्टाचार से जुड़े पदों में शामिल होने से परहेज:** ईमानदार और मेहनती लोग भ्रष्ट समझे जाने वाले विशेष पदों के प्रति घृणा करने लगते हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:**
  - **वदेशी निवेश में कमी:** सरकारी नकियों में भ्रष्टाचार के कारण कई वदेशी निवेशक विकासशील देशों में निवेश करने से कतराते हैं।
  - **विकास में देरी:** एक अधिकारी जिसे परियोजनाओं या उद्योगों के लिये मंजूरी प्रदान करनी होती है, वह धनार्जन और अन्य गैरकानूनी ढंग से लाभ कमाने के उद्देश्य से जान-बूझ कर इस प्रक्रिया में देरी करता है।
    - इससे निवेश, उद्योगों की शुरुआत और विकास की गति धीमी हो जाती है।
  - **विकास का अभाव:** किसी विशेष क्षेत्र में नए उद्योग शुरू करने के इच्छुक कई व्यक्ति क्षेत्र के अनुपयुक्त होने पर अपनी योजनाओं को बदल देते हैं।
    - यदि उचित सड़क, पानी और बजिली की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में कंपनियों नए उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती हैं, जो उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में बाधा डालती है।

# How corruption in India, neighbours changed in 10 years

Perceived levels of public sector corruption on a scale of zero (highly corrupt) to 100 (very clean)



## भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने को कानूनी और नयामक ढाँचे:

### ■ कानूनी ढाँचा:

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988** में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये दंड का प्रावधान है।
  - **वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन** किया गया, जिसके अंतर्गत रशिवत लेने और रशिवत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002** का उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- **कंपनी अधिनियम (The Companies Act), 2013** कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वयंसेवक का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकथाम करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय (Criminal) अपराध माना गया है।
- **भारतीय दंड संहिता (The Indian Penal Code- IPC), 1860** के अंतर्गत रशिवत, धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसे अपराध से संबंधित मामलों को कवर किया गया है।
- **बेनामी लेन-देन (निषिद्ध) अधिनियम, 1988** उस व्यक्ति के दावे पर प्रतिबंधित करता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति अर्जित की है।

### ■ नयामक ढाँचा:

- **लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013** ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है।
  - ये "लोकपाल तथा लोकायुक्त" कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
- **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** इसका कार्य प्रशासन की नगिरानी करना और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कार्यपालिका को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952:** IPC की धारा 165 के तहत नरिदषिट सज़ा को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
  - **1964 में संशोधन:** IPC के तहत 'लोक सेवक' तथा 'आपराधिक कदाचार' की परिभाषा का विस्तार किया गया और एक लोक सेवक के लिये आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने को अपराध बना दिया गया।

## भ्रष्टाचार को रोकने में नैतिकता का महत्त्व:

- **नैतिक सीमाएँ स्थापित करना:** नैतिक सिद्धांत सही और गलत को परिभाषित करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में नैतिकता स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करती है, जो स्वीकार्य व्यवहार को अनैतिक या भ्रष्ट आचरण से अलग करती है।
- **जवाबदेही को बढ़ावा देना:** नैतिकता की मांग है कि व्यक्ति अपने कार्यों और नरिण्यों की ज़िम्मेदारी लें। जब लोगों को नैतिक सिद्धांतों द्वारा नरिदेशित किया जाता है, तो उनके कार्यों के पारदर्शी और जवाबदेह होने की अधिक संभावना होती है, जिससे भ्रष्टाचार, जो कि दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है, की संभावना कम हो जाती है।

- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** [पारदर्शिता](#) एक प्रमुख नैतिक सिद्धांत है। नैतिक संगठनों और व्यक्तियों के पारदर्शी पर और ईमानदारी से काम करने की अधिक संभावना होती है तथा ऐसे माहौल में भ्रष्टाचार का पनपना मुश्किल हो जाता है जहाँ कार्य और नरिणय जाँच के अधीन होते हैं।
- **वशिवास कायम करना:** वशिवास नैतिक व्यवहार की आधारशिला है। जब व्यक्तियों और संस्थानों को भरोसेमंद माना जाता है, तो उनके भ्रष्टाचार में शामिल होने या उसे बर्दाशत करने की संभावना कम होती है। समाज में उच्च स्तर का वशिवास भ्रष्टाचार के प्रति प्रलोभन को कम करता है।
- **नागरिकों के सदगुणों को प्रोत्साहित करना:** नैतिक मूल्य नागरिक सदगुणों को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्तियों को दूसरों की कीमत पर व्यक्तित्व लाभ हासिल करने के बजाय समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। नागरिक सदगुण भ्रष्टाचार का एक प्रभावशाली निवारक है।
- **कानून के शासन का समर्थन:** नैतिक व्यवहार [कानून के शासन](#) और कानूनी तथा नयामक ढाँचे के प्रति सम्मान को कायम रखता है। भ्रष्ट आचरण में अक्सर कानून को दरकिनार करना या उसका उल्लंघन करना शामिल होता है एवं नैतिकता का पालन कानूनी मानदंडों के प्रति सम्मान को मज़बूत करता है।
- **वहसिलब्लोअर संरक्षण:** नैतिक संगठन और सरकारें भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले वहसिलब्लोअर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। नैतिक मूल्य अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिये प्रोत्साहित करते हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने एवं संबोधित करने के लिये महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विकी प्रतिष्ठा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये नैतिक व्यवहार आवश्यक है। नैतिक शासन और नमिन भ्रष्टाचार स्तर वाले देश में वैदेशी निवेश और सहयोग की संभावना अधिक होती है।**
- **दीर्घकालिक स्थिरता:** भ्रष्ट आचरण अक्सर अल्पकालिक लाभ प्रदान करता है लेकिन दीर्घकाल में नुकसान पहुँचा सकता है। समाज के सतत् विकास और समृद्धि के लिये नैतिक व्यवहार आवश्यक है।

## सार्वजनिक जीवन के मानक और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर नोलन समिति की सिफारिशें:

1995 में यूनाइटेड किंगडम में नोलन समिति ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सार्वजनिक पदाधिकारियों, अधिकारियों, सविलि सेवकों, नौकरशाहों, नागरिक समाज और नागरिकों द्वारा शामिल किये जाने वाले सात नैतिक मूल्यों की रूपरेखा तैयार की:

- **निःस्वार्थता:** सार्वजनिक अधिकारियों/नौकरशाहों को लोकहित के संदर्भ में नरिणय लेना चाहिये।
- **सत्यनिष्ठा:** नौकरशाहों को ऐसे किसी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के तहत नहीं होना चाहिये जिससे उनके आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित हों।
- **वस्तुनिष्ठता:** सार्वजनिक कामकाज़, नयुक्तियों करने, अनुबंध या पुरस्कार और लाभ के लिये लोगों की सिफारिश करने में नौकरशाहों को योग्यता को आधार बनाना चाहिये।
- **जवाबदेहिता:** नौकरशाह अपने नरिणयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं तथा उन्हें अपने पद को भी जाँच/समीक्षा के अधीन रखना चाहिये।
- **खुलापन:** नौकरशाहों के सभी नरिणयों और कार्यों में खुलापन होना चाहिये। उन्हें अपने नरिणयों का स्पष्ट कारण देना चाहिये तथा सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिये जब व्यापक जन-हित के लिये आवश्यक हो।
- **ईमानदारी:** नौकरशाह का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित अपने नज्जी हितों की घोषणा करे और ऐसे किसी वशिध के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाए जो सार्वजनिक हितों की रक्षा करने में बाधक हो।
- **नेतृत्व:** नौकरशाहों को अपने नेतृत्व द्वारा उदाहरण पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित करने के साथ इनका समर्थन करना चाहिये।

## भ्रष्टाचार से निपटने हेतु दूसरे ARC की सिफारिशें:

भारत में एक सलाहकार निकाय, [द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग \(द्वितीय ARC\)](#) ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को संबोधित करने और सार्वजनिक प्रशासन की अखंडता तथा दक्षता में सुधार के लिये कई व्यापक सिफारिशें की। इन सिफारिशों का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना एवं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना है। [द्वितीय ARC](#) द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- **भ्रष्टाचार वशिधी उपायों को मज़बूत बनाना:**
  - **वहसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014:** दूसरे ARC ने वहसिलब्लोअर के लिये सुरक्षा और प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु वहसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की। इसमें उन्हें उत्पीड़न से बचाना तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।
  - **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):** दूसरे ARC ने CVC को अधिक स्वतंत्रता, संसाधन और अधिकार देकर भ्रष्टाचार को रोकने तथा मुकाबला करने में उसकी भूमिका को मज़बूत करने की सिफारिश की।
  - **केंद्रीय अनुवेक्षण ब्यूरो (CBI):** आयोग ने भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में CBI की स्वायत्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाए।
- **वविकाधिकार को कम करना:**
  - **मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP):** द्वितीय ARC ने अधिकारियों की वविकाधिकार शक्तियों को कम करने के लिये सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं हेतु स्पष्ट SOP के विकास की सिफारिश की। इससे भ्रष्टाचार एवं मनमाने नरिणय लेने की गुंजाइश कम हो जाती है।
  - **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठाकर सरकारी लेन-देन में मानवीय हस्तक्षेप और वविकाधिकार को कम किया जा सकता है। आयोग ने भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित किया।
- **पुलिस सुधार:**
  - **पुलिस की जवाबदेही:** आयोग ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये व्यापक पुलिस सुधारों की

आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसमें पुलिस बल में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा व्यावसायिकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

- **सामुदायिक पुलिसिंग:** सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने से पुलिस और जनता के बीच विश्वास पैदा हो सकता है, जिससे भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में कमी आएगी।

■ **नैतिक शासन को बढ़ावा देना:**

- **आचार संहिता:** आयोग ने नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये एक आचार संहिता के विकास की सफारिश की।
- **सटीज़न चार्टर:** सरकारी विभागों को सटीज़न चार्टर अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से जवाबदेही बढ़ सकती है और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हो सकता है।

■ **जन जागरूकता अभियान:**

- **मीडिया और शिक्षा:** आयोग ने भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों तथा नैतिक आचरण के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करने का सुझाव दिया।

■ **संसदीय नरीकषण को सुदृढ़ बनाना:**

- **संसदीय समितियों:** सरकारी संचालन और व्यय की जाँच में संसदीय समितियों की भूमिका को मज़बूत करने से भ्रष्टाचार का पता लगाने तथा उसे रोकने में मदद मलि सकती है।

■ **ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण:**

- **डिजिटल परिवर्तन:** **द्वितीय ARC** ने मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिये सरकारी प्रक्रियाओं के व्यापक डिजिटल परिवर्तन की सफारिश की।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 'बेनामी संपत्तिलेन-देन नषिध अधनियिम, 1988 (PBPT अधनियिम)' के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. कसिी संपत्तिलेन-देन को बेनामी लेन-देन नहीं मरनर मरनर जरतुर है यदिसंपत्तिके मरलकि लेन-देन से अवरगत नहीं है।
2. बेनामी संपत्तियीँ सरकरर दरररर अधकित की जर सकती हैं।
3. अधनियिम में जरँच के लयि तीन प्ररधकिरणों कर प्रररधरन है लेकनिकसिी भी अपीलीय तंत्र कर प्रररधरन नहीं है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सर/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. चर्रर कीजयि ककिसि प्रकर उभरती प्ररुदयुगकियीँ और वैश्वीकरण मनी लॉनड्रगि में युुगदरन करते हैं। ररषुद्रीय एवं अंतरररषुद्रीय दुरनों सुतरों पर मनी लॉनड्रगि की समसुयर से नपिटने के लयि कयि जरने वरले उपररों को वसुतुर से समझरइये। (2021)